(13) (13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1520-III/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–09–2008 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 250/2006–07/अपील ।

गोविन्द सिंह पुत्र सीताराम,
निवासी ग्राम मडनखिरिया तहसील व जिला
अशोकनगर म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1–ज्ञानसिंह पुत्र सीताराम
2–अशोकसिंह पुत्र हरनाम सिंह
3–राजेंन्द्र सिंह पुत्र होशियार सिंह
4–अमरसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
5–विकास पुत्र भानू सिंह
5–हरनेन्द्रसिंह पुत्र पन्नालाल
समस्त निवासीगण ग्राम शाहपुर तहसील व
जिला गुना ..... अनावेदकगण

.....

श्री अनिल श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदक
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/12/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 250/2006–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–9–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय गुना के समक्ष अनावेदक कमांक 1 ज्ञानसिंह ने एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम शाहपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 126, 127, 128 व 130 के नक्शे में रकबा बड़ा हुआ है, नक्शा संशोधन किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रकरण कमांक 9/अ—6—अ/1998—99 पर दर्ज कर विचारधीन पारित आदेश दिनांक 24—10—1998 के द्वारा अनावेदक कमांक 1 के आवेदन के आधार पर ग्राम शाहपुर की भूमि सर्वे कमांक 126, 127, 128 व 130 का खसरा के मान से नक्शा संशोधन का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24—10—1998 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 10/2004—05/अपील में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 30—05—2007 से अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—5—2007 से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 250/2006—07/अपील में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 23—09—2008 से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और तहसील न्यायालय का आदेश पुर्नस्थापित किया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—9—08 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों से स्पष्ट है कि यदि नक्शे में संशोधन किया जाना है तो यह अधिकार बन्दोबस्त के दौरान या तो बन्दोबस्त अधिकारी को रहेगा या अन्य स्थिति में केवल जिला कलेक्टर ही नक्शे में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार रखते है । उपरोक्त विधि के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या न्यायदृष्टांत आर.एन. 2005 पृष्ठ 240 एवं 2002 आर.एन.

पृष्ठ 238 में की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के पैरा नम्बर 5 में उल्लेख यह है कि उपरोक्त नक्शे में संशोधन पूर्व का आदेश दिनांक 31–7–1987 के राजीनामा के आधार पर किया गया है यह तथ्य गलत है क्योंकि न तो आवेदक के द्वारा और ना ही अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार के आदेश में इस बात का उल्लेख है तथा ना ही अनुविभागीय अधिकारी गुना के समक्ष यह तथ्य आया । अपर आयुक्त द्वारा अपने स्वविवेक से जिस तथ्य का उल्लेख किया गया है वह तथ्य पूर्व के दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कही भी रिकार्ड पर नहीं है । स्वविवेक से अपर आुयक्त द्वारा जो निष्कर्ष दिये हैं वह प्रकरण में अस्तित्व में न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । लिखित तर्क में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि विवादित भूमियों के संबंध में एक सिविल वाद अनावेदक ज्ञान सिंह द्वारा प्रकरण क्रमांक 36ए/2004 ज्ञानसिंह व अन्य विरूद्ध गोविन्दसिंह व अन्य जो स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था । उक्त वाद में आवेदक द्वारा भी एक काउन्टर क्लेम (प्रतिवादपत्र) अपने हिस्से की भूमि पर निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक गुना द्वारा आदेश दिनांक 25–2–2008 के द्वारा यह निर्देशित किया है कि वादी की भूमियों पर प्रतिवादी हस्तक्षेप न करें, परन्तु उसी न्याय निर्णय के दूसरे पद क्रमांक में यह भी निर्देशित किया है कि अनावेदकगण आवेदक की भूमि पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें । अपर आयुक्त द्वारा जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक गुना के आदेश का अध्ययन न करते हुये स्वविवेक से आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–08 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–1998 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

4– अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क किये गये कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वे संहिता के प्रावधान

अनुसार विधिनुकूल एवं नियमानुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5— प्रकरण में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष अभिभाषकों की बहस पर विचार किया गया । अनावेदक कमांक 1 के द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115—116 के अन्तर्गत खसरे के मान से पटवारी नक्शे में त्रुटि होने के कारण नक्शे में सुधार के लिये आवेदन दिया गया। तहसीलदार के द्वारा जॉच उपरांत खसरे के मान से नक्शे में त्रुटि होने के कारण खसरे के मान से नक्शे में सुधार के आदेश दिये गये । उक्त कार्यवाही को आवेदक की ओर से इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि नक्शे में संशोधन की कार्यवाही संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत की जाती है तथा उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही का अधिकार कलेक्टर को है, तहसीलदार को नहीं । संहिता की धारा 107 के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा बन्दोबस्त के दौरान तैयार होने वाले नक्शे के संदर्भ में है जबकि वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत पटवारी के द्वारा संधारित होने वाले प्रचलित नक्शे में संशोधन के बारे में हैं । संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत संधारित होने वाले भू—अभिलेखों में संहिता की धारा 115—116 के अन्तर्गत तहसीलदार के द्वारा सुधार किया जा सकता है । न्यायदृष्टांत आर0एन0 1997 पृष्ठ 189 में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । अतः इस बिन्दु पर आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है ।

6— आवेदक का यह भी तर्क है कि प्रकरण में संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत कार्यवाही हुयी है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष की समय सीमा दी गई है । उक्त प्रकरण में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पर प्रारम्भ हुआ था तथापि प्रकरण में आवश्यक जॉच के उपरांत न केवल अनावेदक से संबंधित बल्कि अन्य खाताधारकों से संबंधित खसरे में भी त्रुटि पाई जाने पर आवश्यक जॉच के उपरांत तहसीलदार द्वारा उक्त सभी खाताधारकों के संबंध में कार्यवाही की गई है जो संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत ही की जाना मान्य होगा अतः इस बिन्दु पर भी आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है ।

7— जहॉ तक अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय की निषेधाज्ञा संबंधी आदेश के आधार पर आदेश पारित करने का प्रश्न है इस संबंध में आवेदक का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश का प्रभाव इस प्रकरण में किसी निर्णय पर पहुॅचने पर नहीं पड़ता है ।

8— प्रकरण में आवेदक की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि तहसीलदार के द्वारा उसको बिना सुने आदेश पारित किया गया है । प्रथमदृष्टया तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा आवेदक को भी सूचना पत्र की तामीली की गई । आवेदक के द्वारा जो अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई है अथवा अन्य वरिष्ठ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है उनमें मात्र विधिक बिन्दु उठाये गये हैं । प्रकरण के गुणदोषों पर उनके द्वारा कोई बात नहीं कही गई है । किसी भी स्टेज पर उनके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि तहसीलदार के आदेश से उसके हित किस प्रकार से विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे है । आवेदक की भूमि में कोई कमी आई हो, ऐसा भी उसने दावा नहीं किया है । वैसे भी तहसीलदार के द्वारा जो आदेश पारित किया है वह अनावेदक कमांक 1 के अलावा अन्य पक्षों को सुनने के उपरांत पारित किया गया है । अतः उक्त आदेश से आवेदक के अतिरिक्त अन्य खाताधारक भी प्रभावित हुये है । ऐसी स्थिति में साक्ष्यों की बहुलता व सुविधा संतुलन वैसे भी आवेदक के पक्ष में नहीं है ।

9— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही पूरी तरह से नियमानुकूल पाई जाने से तहसीलदार का आदेश दिनांक 24—10—1998 स्थिर रखा जाता है । यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर